

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन सं० - 1922 वर्ष 2026**

जावेदआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

.....प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (ओं) के अधिवक्ता : जीतेन्द्र प्रकाश मिश्र, राम लाल

प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 23**माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती**

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बहस सुनी और पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान ज़मानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध सं०. 605 वर्ष 2025, धारा 2(b)(xvii)/3 उ.प्र. गिरोहबन्द और समाज विरोध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, पुलिस स्टेशन- मोहम्मदी, जिला- खेरी के अंतर्गत ज़मानत के लिए दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध केवल एक ही मुकदमा दर्शाया गया है, जिसमें वह ज़मानत पर है। ज़मानत आदेश ज़मानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र के साथ संलग्नक-3 के रूप में रिकॉर्ड पर है। गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों के अलावा, आवेदक का 10 अन्य मामलों का भी आपराधिक इतिहास है, जिनका उल्लेख ज़मानत आवेदन के पैरा 6 में विधिवत किया गया है। आवेदक 19.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है।

यह भी निवेदन है कि आवेदक उ.प्र. गिरोहबन्द और समाज विरोध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(b) की अपेक्षाओं के अनुसार एक वचनबंध प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक के न्यायिक हिरासत से भागने अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा।

विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तथ्यों को चुनौती नहीं दे सके।

इन तथ्यों पर उचित विचार करते हुए कि आवेदक 19.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है; आवेदक को गैंग चार्ट में दर्शाए गए मामलों में जमानत मिल चुकी है; और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक- **जावेद** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध/प्र.सू.रि. संख्या में शामिल है उसे एक निजी मुचलका और उसी राशि के दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए जो कि निम्नलिखित शर्तों के साथ न्याय हित में अधिरोपित की जा रही हैं:-

- (i) आवेदक परीक्षण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (iii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (iv) आवेदक को इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों वह किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का पालन न करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (v) आवेदक उ.प्र. गिरोहबन्द और समाज विरोध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(b) की शर्त के अनुसार एक शपथ-पत्र भी दाखिल करेगा कि वह किसी मामले में शामिल नहीं होगा या जमानत की आजादी का दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (vi) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर, या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना आवश्यक है। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, यदि कारण पर्याप्त नहीं है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।
- (vii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो, विचारण न्यायालय विधि के अनुसार, बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

मार्च 20, 2026

श्रवण

(राजीव भारती, न्यायाधीश)